दैनिक भास्कर
बिलासपुर भास्कर 31-07-2025

सीबीएसई स्टूडेंट्स को स्कूल खेल में मौका नहीं, हाई कोर्ट ने डीपीआई से मांगा जवाब

डीपीआई ने जारी किया था आदेश, हाई कोर्ट ने लिया संज्ञान

लीगलरिपोर्टर | बिलासपुर

स्कूल शिक्षा विभाग ने हाल ही में निर्णय लिया था कि सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों के स्टूडेंट राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में भाग नहीं ले सकेंगे। इसे लेकर एक छात्रा ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका लगाई थी। हाई कोर्ट ने जनहित याचिका खारिज कर दी, लेकिन मामले को गंभीर मानते हुए इस पर संज्ञान लिया और डीपीआई से शपथ पत्र के साथ जवाब मांगा है।

स्कूल शिक्षा विभाग ने सीबीएसई स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को राज्य की ओर से कराए जाने ब्लॉक से लेकर राज्य स्तरीय खेलों में हिस्सा लेने पर रोक लगा दी है। इस फैसले से प्रदेश के करीब 600 सीबीएसई स्कूलों में पढ़ने वाले करीब 4लाख बच्चे अब राज्य सरकार के अधीन होने वाली खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने से वंचित हो गए हैं। इसे लेकर एक छात्रा ने जनहित याचिका लगाई। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने जनहित याचिका खारिज कर दी, लेकिन मामले को गंभीर माना। डीपीआई को शपथ पत्र के साथ जवाब देने के निर्देश दिए गए हैं। हाई कोर्ट ने इस मामले में एडवोकेट सूर्या कंवलकर डांगी और अदिति सिंघवी को न्याय मित्र नियुक्त किया है। अब इस मामले पर 7 अगस्त को अगली सुनवाई होगी।

सीबीएसई को अलग इकाई के रूप में मान्यता

दरअसल, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने सीबीएसई को सत्र 2024-25 में एक अलग इकाई के रूप में मान्यता दे दीहै। इसके बाद से ही सीबीएसई स्कूलों के खिलाड़ियों को राज्य की ओर से कराई जाने वाली खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा देने को लेकर विवाद जारी है। पिछले साल भी लोक शिक्षण संचालनालय से इसेलेकर आदेश जारी हुआ था। तब छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन के अनुरोध पर शिक्षा विभाग ने फैसला वापस ले लिया था।